प्रेस नोट-15.10.2020

(1). आज दिनांक-15.10.2020 को जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खोही पंचायत भवन, बरहा हनुमान मन्दिर जाकर अमावस्या मेला को दृष्टिगत रखते हुये अमावस्या मेला में लगाये गये पुलिस बल की ड्यूटी प्वाइन्ट को चेक किया गया, एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को महोदय द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि मेला में आये हुये श्रद्धालुओं को समय समय पर कोविड-19 के नियमों के बारे में लाउडहेलर से अवगत कराते रहें।

तत्पश्चात महोदय द्वारा परिक्रमा मार्ग से बेड़ी पुलिया एवं अन्य स्थानों की ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया एवं अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

निरीक्षण/चेकिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय, एसडीएम सदर एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद चित्रकूट के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी द्वारा थाना/चौकी में आगामी दुर्गापूजा, दशहरा , बारावफात त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये पीस कमेटी का आयोजन किया गया ।

श्रीमान एसडीएम महोदय राजापुर व सीओ राजापुर के नेतृत्व में थाना राजापुर में, श्रीमान एसडीएम महोदय मऊ व सीओ मऊ के नेतृत्व में थाना मऊ में तथा श्रीमान एसडीएम महोदय नगर व सीओ नगर के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी में एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी मानिकपुर के नेतृत्व में थाना मानिकपुर में पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया।

पीस कमेटी मीटिंग में कोविड-19 की गाइडलाइन दुर्गा पूजा प्रतिमा एवं त्यौहार को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु जनता के सभी संभ्रांत व्यक्ति, ग्राम प्रधान, सभासद एवं आयोजक गणों की मीटिंग कर सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन के संबंध में बताया गया। संभ्रांत व्यक्तियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न त्यौहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने हेतु आश्वासन दिया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा नादिन तिराहा राजापुर से अभियुक्त छिद्दू सोनकर पुत्र किशन सोनकर निवासी खूटी बाबा का डेरा मझगवां कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 221/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

10 लीटर कच्ची शराब

<u>बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना राजापुर
2. आरक्षी राहुल पाण्डेय